रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 1979/ज्येष्ठ 23, 1901
No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 1979/JYAISTHA 23, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 जून, 1979

सार्वजनिक सूचना

स० प्रतिभ्रदायगी सा० सू० 43/79 —सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना स० 52/फा० सं० 602/ब/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना स० प्रतिभ्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है —

1 उपक्रमांक स० 3105 के सामने दी गई वर्तमान प्रविष्टियों को संख्या 4805(क) कर दी जाए ।

2. उपक्रम सं० 4805 के सामने दी गई प्रविष्टियों की संख्या को 4805(क) कर देने के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(ख) 600 वोल्ट उससे अधिक और 33 कि० वा० तक जिसमें 33 कि० वा० भी शामिल है, की वोल्टता के लिए पावर फैक्टर इम्प्रूमेंटकैपेसिटर्स ।	5.85 (केवल पांच रुपये पचासी पैसे) प्रति के० वी० ए 90 आर०"

उपर्युक्त माल के संबंध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिये नियत की गई सभी ब्रांड दरें, इस सार्वजनिक सूचना के प्रवृत्त होने के साथ ही वापस ले ली गई समझी जाएंगी ।

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1979 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

महेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE.

DEPARTMENT OF REVENUE

(INDIRECT TAXES DIVISION)

New Delhi, the 13th June, 1979.

PUBLIC NOTICE

NO. DRAWBACK/PN-43/79.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. N. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

1. The existing entries against sub-serial No. 4805 may be numbered as 4805(A).

2. After renumbering the existing entries against sub-serial No. 4805 as 4805 (A) the following shall be added, namely :—

"(B) Power factor improvement capacitors for voltage above 600 volts and upto and including 33 KV.	Rs. 5.85 (Rupees five and paise eighty five only) per KVAR."

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1979.

MAHESH KUMAR, Under Sey.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979